

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District**
(जिला): ACB DISTRICT **P.S.**
(थाना): C.P.S Jaipur **Year**
(वर्ष): 2026
2. **FIR No.**
(प्र.सू.रि.सं): 0217 **Date and Time of FIR**
(एफआईआर की तिथि/समय): 31/07/2026 16:56 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From**
(दिनांक से): 27/07/2026 **Date To**
(दिनांक तक): 29/07/2026
- Time Period**
(समय अवधि): पहर **Time From**
(समय से): 11:10 बजे **Time To**
(समय तक): 14:11 बजे
- (b) **Information received at P.S.**
(थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): **Date**
(दिनांक): 31/07/2026 **Time**
(समय): 16:00 बजे
- (c) **General Diary Reference**
(रोजनामचा संदर्भ) : **Entry No.**
(प्रविष्टि सं.): 001 **Date & Time**
(दिनांक एवं समय) 31/07/2026 16:56:34 बजे
4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
1. (a) **Direction and distance from P.S.**
(थाने से दिशा और दूरी): NORTH, 09 किमी **Beat No.**
(बीट सं.) : NOT APPLICABLE
- (b) **Address(पता):** KARYALAY ATI. JILA COLLECTOR AVN ATI. JILA MAGISTRATE, JAIPUR CITY-EAST
- (c) **In case, outside the limit of this Police Station, then**
(यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
- Name of P.S**
(थाना का नाम): **District(State)**
(जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): MAHESH KUMAR MEENA

(b) Father's Name (पिता का नाम): JAGDISH PRASAD

(c) Date/Year of Birth
(जन्म तिथि/ वर्ष): 1986

(d) Nationality(राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue

Place of Issue

(जारी करने की तिथि):

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number
-------	---------	-----------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	A 93, ARJUN NAGAR,, MAHESH NAGAR JAIPUR, MAHESH NAGAR, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	A 93, ARJUN NAGAR,, MAHESH NAGAR JAIPUR, MAHESH NAGAR, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number

(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MUKESH KUMAR		पिता: JAGDISH PRASAD	1. 278, AMAR NAGAR C, KHATIPURA JAIPUR, JAIPUR (WEST), RAJASTHAN, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,00,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,00,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

हालात प्रकरण इस प्रकार से है कि दिनांक 27.07.2026 का समय 11.10 एएम पर श्री सुनील सिहाग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि. ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण जयपुर के कार्यालय कक्ष में एक व्यक्ति उपस्थित आया जिससे श्री सुनील सिहाग, अति. पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय में आने का प्रयोजन व नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री महेश कुमार मीणा पुत्र श्री जगदीश मीणा उर्म 40 वर्ष जाति मीणा निवासी ए- 93 अर्जुन नगर महेश नगर जयपुर पुलिस थाना महेश नगर जयपुर मो.

हाल प्रोपराईटर फर्म AAROHI TRAVEL SOLUTION का कार्य करना बताया तथा महेश कुमार ने श्री सुनील सिहाग, अति. पुलिस अधीक्षक को एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि सेवामे, श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक एसीबी चोकी जयपुर ग्रामीण जयपुर विषय-श्री मुकेश कुमार P.A ADM EAST जयपुर को रंगे हाथो पकड़वाने बाबत: महोदय, निवेदन है कि मेरी फर्म AAROHI TRAVEL SOLUTION है जिसका मैं प्रोपराईटर हूँ मेरी फर्म द्वारा जिला कलेक्ट्रेट के द्वारा आयोजित परिक्षाओ मे वाहन की व्यवस्था की गई है जो मेरी फर्म द्वार टेण्डर प्रक्रिया से मुझे वर्क आर्डर मिला हुआ है जिसकी पालना में मेरे द्वारा समय समय पर परीक्षा मे मेरे फर्म से गाडिया उपलब्ध करवाता हूँ जिसमे परीक्षा समाप्त के बाद वाहनो के बिल कार्यालय एडीएम EAST JAIPUR मे भिजवाये जाते है जिनमे मेरी फर्म द्वारा BILL NO. ADM EX.0015 से लेकर ADM EX. 00222 तक पेश किये गये है जिनकी राशि लगभग 18 लाख है जिनके एवज में संबंधित बाबू मुकेश कुमार द्वारा 2.5 लाख रुपये कमीशन मांग रहा है मैं उसे रिश्वत नही देना चाहता। मैं मेरे जायज काम के बिल बनाने है इसलिये मैं रंगे हाथो रिश्वत लेते हुये पकड़वाना चाहता हूँ मेरी उनसे कोई रंजिश नहीं है ना ही मेरा कोई उधारी का लेने देने है प्रार्थना पत्र दे रहा हू कानूनी कार्यवाही करें। एसडी/ महेश कुमार मीणा पुत्र श्री जगदीश मीणा निवासी ए-93 अर्जुन नगर महेश नगर जयपुर मो.

परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व संलग्न किये गये दस्तावेजात के अवलोकन किया गया। समय 11.35 एएम पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मन् पुलिस निरीक्षक को अपने कार्यालय के कक्ष में बुलाकर परिवादी से आपस मे परिचय करवाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय संलग्न दस्तावेज मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर अग्रीम ट्रेप कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बारे में बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र मेरे हस्तलेख से लिखा हुआ है जिसमे जो बाते है वो सही है प्रार्थना पत्र के अवलोकन से मामला रिश्वत मांग का पाया जाता है जिसका सत्यापन करवाया जाना है सत्यापन से जो भी स्थिति होगी अग्रीम कार्यवाही की जावेगी। समय 12.05 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु श्री देवेन्द्र सिंह कानि० 68 को कार्यालय से तलब कर परिवादी महेश कुमार मीणा से आपसी परिचय करवाया जाकर कार्यालय की आलमारी में से एक विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर एवं दो नये माईको एसडी कार्ड मंगवाये जाकर परिवादी महेश कुमार को विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर को चालू व बन्द करने की प्रक्रिया समझाई जाकर विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर में नये माईको एसडी कार्ड 32 जीबी के डालकर उसे खाली होना सुनिश्चित कर विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर परिवादी श्री महेश कुमार को सुपुर्द कर हिदायत की गई कि रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को डिजीटल वाईस रिकार्डर मे रिकार्ड करे श्री देवेन्द्र सिंह कानि. 68 को परिवादी के साथ मांग सत्यापन की कार्यवाही के लिये रवाना किया गया व कानि. को मांग सत्यापन होने पर परिवादी को साथ लेकर कार्यालय में आने की मुनासिब हिदायत दी गई। विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर की फर्द सुपुर्दगी पृथक से तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। समय 01.00 पीएम पर पूर्व से पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाह श्री प्रवीण तेजी, कनिष्ठ सहायक व श्री करण बिंवाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय नगर निगम आदर्श नगर जोन जयपुर उपस्थित कार्यालय आये। समय 02.40 पीएम पर श्री देवेन्द्र सिंह कानि. 68 व परिवादी बाद सत्यापन उपस्थित कार्यालय आये व डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड कानि. ने मन पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द की ओर बताया कि हम दोनो एसीबी कार्यालय से रवाना होकर करीब 12.50 पीएम पर कलेक्ट्रेट केम्पस जयपुर में पहुँचकर परिवादी को डिजीटल वाईस रिकार्डर ऑन करवाकर संदिग्ध आरोपी के पास रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतू भिजवाया गया मैं कलेक्ट्रेट के आसपास मुकीम हुआ। करीब 1. 50 पीएम पर परिवादी मेरे पास आया व डिजीटल वाईस रिकार्डर मुझे सुपुर्द कर बताया की मैं एडीएम पूर्व के कार्यालय में गया मेरी मुकेश कुमार से मेरे काम की वार्ता हुई मुकेश कुमार ने मेरी गाडीयों के बिल पास करने के एवज में आठ प्रतिशत कमिशन लेने के हिसाब से करीब दो लाख तीन हजार दो सौ अस्सी रुपये बतोर रिश्वत लेने की

वार्ता हुई है जिसमें एक लाख पच्चास हजार रुपये आज देने के लिये कहा है। परिवादी ने देवेन्द्र कानि. के द्वारा बताए गये बातों की ताईद की। मन पुलिस निरीक्षक ने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर सुरक्षित मेरे पास रखा। परिवादी श्री महेश कुमार ने बताया की आरोपी श्री मुकेश कुमार कल जयपुर में नहीं है बाहर जायेंगे और मैं पैसों की व्यवस्था करके लाता हूँ परिवादी को मुनासिब हिदायत देकर रवाना किया गया। समय 03.50 पीएम पर परिवादी वापस उपस्थित आया और बताया की आज पैसों की व्यवस्था नहीं हो सकती इसलिए आज ट्रेप कार्यवाही नहीं हो सकती आरोपी दिनांक 29.07.2026 को कार्यालय में उपस्थित आयेगा उसी दिन ट्रेप कार्यवाही संभव है। मन पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय की डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर जिसमें आज की गई मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड है को परिवादी की उपस्थिति में कार्यालय के कम्प्यूटर से चलाकर सुना गया तो डिजीटल वॉईस रिकार्ड के मैमोरी कार्ड में रिश्तत मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड होना पाई गई डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। समय 04.14 पीएम पर मांग सत्यापन वार्ता कम्प्यूटर से कनेक्ट कर सुन रहे थे उसी दौरान परिवादी के मोबाईल नम्बर पर आरोपी ने अपने मोबाईल नम्बर से ऑडियो कॉल पर परिवादी को पैसे लेकर आने के लिए पुछ रहा था तो परिवादी ने कहा कि आज पैसों की व्यवस्था नहीं हो सकती मैं बुधवार दिनांक 29.07.2026 को दे दूंगा जिस पर आरोपी ने फोन काट दिया। परिवादी श्री महेश कुमार ने बताया की आरोपी श्री मुकेश कुमार कल नहीं मिलेगा परसों दिनांक 29.07.2026 को कार्यालय में उपस्थित होगा इसलिये कल ट्रेप कार्यवाही होना संभव नहीं है। परिवादी ने बताया की मेरे घर पर जरूरी कार्य है इसलिये मुझे घर पर जाना है। अतः परिवादी को दिनांक 28.07.2026 को 12.00 पीएम पर उपस्थित होने हेतु पाबंद कर मुनासिब हिदायत रूखस्त किया गया। पूर्व से पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाह श्री प्रवीण तेजी, कनिष्ठ सहायक व श्री करण बिंवाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय में उपस्थित आये हुये हैं। आज ट्रेप कार्यवाही नहीं होने के कारण दोनों स्वतंत्र गवाहों को कल दिनांक 28.07.2026 को 12.00 पीएम पर उपस्थित होने हेतु पाबंद कर मुनासिब हिदायत रूखस्त किया गया। दिनांक 28.07. 2026 को समय 12.05 पीएम पूर्व से पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाह श्री प्रवीण तेजी व करण बिंवाल गोपनीय कार्यवाही हेतु उपस्थित आये हैं। अभी तक परिवादी श्री महेश कुमार मीणा उपस्थित नहीं आया हैं। परिवादी के उपस्थित आने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। समय 01.20 पीएम परिवादी श्री महेश कुमार मीणा उपस्थित कार्यालय आया मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा पूर्व से उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाह श्री प्रवीण तेजी व करण बिंवाल को परिवादी से परिचय करवाया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र के साथ पेश दस्तावेज का अवलोकन करवाया अब तक की गई कार्यवाही से अवगत करवाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति ली गई तथा प्रार्थना पत्र पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व गोपनीय ट्रेप कार्यवाही प्रारम्भ की गई स्वतंत्र गवाहान श्री प्रवीण तेजी व श्री करण बिंवाल एवं परिवादी श्री महेश कुमार मीणा की उपस्थिति में दिनांक 27.07.2026 को परिवादी व आरोपी श्री मुकेश कुमार, पीए कार्यालय एडीएम ईस्ट जयपुर के मध्य वक्त रिश्तत मांग सत्यापन के समय आमने सामने हुई उक्त वार्ता रूपान्तरण तैयार करते वक्त दिनांक 27.07.2026 को परिवादी श्री महेश कुमार मीणा व संदिग्ध आरोपी मुकेश कुमार, पीए के मध्य हुई वार्ता में परिवादी श्री महेश कुमार मीणा ने अपनी व सौदग्ध आरोपी की आवाज की पहचान की है दिनांक 27.07.2026 को आमने सामने हुई वार्ता जो डिजिटल वॉईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड हुई है। उक्त वार्ता की वॉईस क्लिप को बारी-बारी से सुन सुनकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने के पश्चात् विभागीय डिजिटल वॉईस रिकार्डर को विभागीय लेपटॉप से जोड़कर उक्त रिकार्ड वार्ता की वॉईस क्लिप को बारी-बारी से तीन अलग-अलग पेनड्राइव में राईट/बर्न किया गया। वॉईस क्लिप पेनड्राइव में रिकार्ड/सेव होना सुनिश्चित किया जाकर तीन पेन ड्राइव पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा अलग-अलग पेन ड्राइव मार्क A-1, A-2 (मुलजिम कॉपी), A-3 (आईओ कॉपी) क्रमशः अंकित किये गये। उक्त पेनड्राइव मार्क A-1, मार्क A-2 को अलग-अलग कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर की गयी। पैकेटों पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये पेनड्राइव मार्क A-3 (आईओ कॉपी) अनुसंधान अधिकारी हेतु अनुसंधान के प्रयोजनार्थ खुली पत्रावली के संलग्न रखी गयी। डिजीटल वॉईस रिकार्डर में लगे माइक्रो एसडी Consistent micro SD card 32 GB कार्ड को निकालकर एक कागज के लिफाफे में रखकर कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर पैकेट को SD मार्क अंकित किया गया एवं सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में ट्रेप कार्यवाही में विभागीय डिजीटल वायस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को सुन-सुन कर शब्द-ब-शब्द श्री देवेन्द्र सिंह कानि.68 द्वारा टाईप करवायी गयी तथा पेन ड्राइव मार्क A-1, A-2 (मुलजिम कॉपी), A-3 (आईओ कॉपी) को राईट / बर्न करवायी गयी तथा उनमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ एवं कांट छांट नहीं की गई है। उक्त रिकार्ड वार्ता से सम्बन्धित मैमोरी कार्ड व राईट/बर्न की गई पेन ड्राइव की हैश वैल्यू निकालकर फर्द में अंकित की गई। डिजीटल वॉईस रिकार्डरों को सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखा गया। परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को दिनांक 29.07.2026 को 10.00 ए.एम पर कार्यालय में उपस्थित आने हेतु पाबंद किया गया व परिवादी को रिश्तती राशि साथ लाने हेतु पाबंद कर रूखस्त किया गया। दिनांक 29.07.2026 को पूर्व से से पाबंदशुदा श्री उदयपाल सिंह, कानि. 550 अनिब्यूरो, एसआईडब्ल्यू जयपुर गोपनीय कार्यवाही हेतु उपस्थित कार्यलाय आये। दिनांक 29.07.2026 को स्वतंत्र गवाह श्री प्रवीण तेजी, कनिष्ठ सहायक व श्री करण बिंवाल, कनिष्ठ सहायक व परिवादी उपस्थित आये। दोनों स्वतंत्र गवाहों व परिवादी को साथ लेकर मन् पुलिस निरीक्षक ने गोपनीय ट्रेप कार्यवाही प्रारम्भ की। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी को

रिश्वत में दी जाने वाली राशि को पेश करने के लिये परिवादी को कहा तो परिवादी ने बताया की मेरे पास 1,50,000/-रु की व्यवस्था नहीं हुई है। मैं आरोपी को देने हेतु 1,00,000/-रु लेकर आया हूँ। मुझे पता है कि आरोपी 01 लाख रुपये रिश्वत ले लेगा। उपस्थित स्वतंत्र गवाहान श्री प्रवीण तेजी, कनिष्ठ सहायक व श्री करन बिंवाल, कनिष्ठ सहायक के समक्ष परिवादी श्री महेश कुमार मीणा ने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के क्रम में आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने की कहने पर परिवादी श्री महेश कुमार मीणा ने अपने पास से पांच-पांच सौ रुपये के 200 नोट कुल 01 लाख रुपये प्रस्तुत किए नोटों के नम्बर फर्द में अंकित किया गया उक्त राशि भारतीय मुद्रा के 500-500 रुपये के 200 नोट राशि कुल 01 लाख रिश्वत राशि के रूप में देने का निर्णय लिया गया। उक्त नोटों के नम्बर मन् पुलिस निरीक्षक एवं उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटों के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। उपरोक्त रिश्वती राशि मुताबिक रिश्वत मांग सत्यापन वार्तानुसार संदिग्ध को सुपुर्द किये जाने है। उक्त प्रचलित भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ रुपये के 200 नोट कुल राशि 01 लाख रुपये के नोटों पर श्री उदयपाल सिंह, कानि. से अच्छी तरह से फिनोफ्थेलीन पाउडर लगवाया गया परिवादी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह प्रवीण तेजी से लिवाई गई तो परिवादी महेश कुमार मीणा के पास मोबाईल फोन के अलावा कोई आपत्तिजनक समान नहीं मिला है मोबाईल फोन परिवादी के पास छोड़ा गया तथा फिनोफ्थेलीन पाउडर लगी रिश्वती राशि श्री उदयपाल सिंह, कानि. से परिवादी की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में में 50-50 हजार रुपये की दो गडी रखवाई थी। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत दी गई कि उक्त पाउडर युक्त नोटो की गडीयो को आरोपी द्वारा मांगने पर ही उसको रिश्वत के रूप में देवें उससे पूर्व इन गडीयो को हाथ नहीं लगावे तथा किसी भी सूरत में आरोपी से हाथ नहीं मिलायें, केवल हाथ जोड़कर ही अभिवादन करें तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद परिवादी को अपने सिर पर हाथ फेरकर या परिस्थिति अनुसार अपने मोबाईल नम्बर से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नंबर पर मिस कॉल कर ट्रेप पार्टी को निर्धारित ईशारा करे। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि आरोपी रिश्वती राशि लेकर कहां रखता है इसका पूर्ण रूप से ध्यान रखे तथा स्वतंत्र गवाहान को हिदायत दी गई कि वह परिवादी के आसपास रहकर परिवादी व आरोपी के बीच होने वाली आपसी रिश्वत लेन-देन की कार्यवाही एवं वार्ता को सुनने व रिश्वती राशि के लेन देन को देखने का प्रयास करें। इसके बाद स्वतंत्र गवाहान व परिवादी महेश कुमार मीणा को फिनोल्फथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की आपसी रासायनिक प्रक्रिया के बारे में विस्तार से दृष्टान्त देकर समझाने के लिए ट्रेप बाक्स में रखे प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाकर उपस्थितगणों को दिखाया गया घोल का रंग रंगहीन रहा, उसके बाद श्री उदयपाल सिंह, कानि० के हाथों की अंगुलियों को उक्त सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसके बारे में उपस्थित गवाहान, परिवादी को समझाया गया कि जो भी इन पाउडर लगे नोटों की गडीयों को हाथ लगायेगा जिसके हाथ इस प्रक्रिया के अनुसार धुलवाने से पानी का रंग गुलाबी हो जावेगा। तत्पश्चात उस अखबार को जिस पर रखकर नोटों व अखबार पर फिनोल्फथलीन पाउडर लगवाया था, को जलवाकर नष्ट करवाया गया। श्री उदयपाल सिंह, कानि. से गुलाबी घोल को बाहर फिकवाकर फिनोल्फथलीन पाउडर की शीशी को वापस आलमारी में रखवाया जाकर श्री उदयपाल सिंह, कानि. के हाथों को तथा गिलास को साबुन व पानी से अच्छी तरह साफ करवाया गया। ट्रेप पार्टी के सदस्यों व गवाहान की एक दूसरे से तलाशी लिवाये जाने पर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु या दस्तावेज आदि नहीं छोड़े गये। मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं अपनी एवं स्वतंत्र गवाहान व परिवादी तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों के हाथों को साबुन व पानी से धोकर साफ किया। सभी को मुनासिब हिदायत दी परिवादी श्री महेश कुमार मीणा को डिजिटल वाईस रिकार्डर मय नया माइक्रो एसडी कार्ड लगाकर सुपुर्द किया गया। ट्रेप कार्यवाही हेतु साथ ले जाने वाली कांच की शिशीयों व उनके ढक्कनो को भी अच्छी तरह धोकर साफ करवाने के बाद सुखाकर ट्रेप बाँक्स में रखा गया। श्री उदयपाल सिंह, कानि. को मुनासिब हिदायत देकर चौकी पर छोड़ा गया। समय 12.25 पीएम मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान व स्वतंत्र गवाह श्री प्रवीण तेजी, कनिष्ठ सहायक व श्री करन बिंवाल, कनिष्ठ सहायक व ब्यूरो स्टाफ के श्री सुभाषचन्द्र, उप निरीक्षक पुलिस, श्री चांदमल, सहायक उप निरीक्षक, श्री रिजवान अहमद, हैड कानि., श्री होशियार सिंह, कानि. श्रीमति रजनी महिला कानि. श्री बन्नाराम, कानि., श्री देवेन्द्र प्रसाद कानि., श्री भगवती प्रसाद आचार्य, वरिष्ठ सहायक, श्री विक्रम, कनिष्ठ सहायक मय कानि. चालक श्री बिरजुराम कानि.चा. 368, व श्री भवरलाल कानि० चा. 462, ट्रेवलर व बोलेरो नियो सरकारी वाहनो से व परिवादी श्री महेश कुमार मीणा अपने वाहन से कार्यालय अति. जिला कलक्टर व अति. जिला मजिस्ट्रेट जयपुर पूर्व के लिये रवाना हुये व श्री सुनील सिहाग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय चालक श्री रोहित कुमार, कानि० 468 के वास्ते सुपरवीजन हेतु कार्यवाही में साथ लिया गया। श्री ओमप्रकाश हैड कानि. को अवकाश से सीधे ही कलक्टर सर्किल जयपुर पर मिलने हेतु निर्देशित किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान ट्रेप पार्टी सदस्य मय स्वतंत्र गवाह मय परिवादी कलक्टर परिसर जयपुर के नजदीक पहुंच वाहनो को रूकवाकर परिवादी को डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर आरोपी श्री मुकेश कुमार, निजी सहायक के पास भिजवाया गया हम सभी परिवादी के मुकरर ईशारे में मुकीम हुये। समय 01.55 पीएम मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री महेश कुमार मीणा को डिवाईस रिकार्डर चालू कर आरोपी श्री मुकेश कुमार के पास रिश्वती राशि देने हेतु भिजवाया गया तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी के पिछे-पिछे श्री कानि. देवेन्द्र कानि. व ओमप्रकाश हैड कानि., रिजवान हैड कानि. को रवाना

किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक व शेष ट्रेप पार्टी सदस्य अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये कार्यालय के आस-पास मुकिम हुये। समय करीब 02.11 पीएम पर परिवादी का मुर्कर ईशारा पाते ही मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ को ईशारा कर साथ लेते हुए परिवादी के पास पहुंचा तो परिवादी कलक्टर कार्यालय के परिसर के प्रथम तल पर स्थित कमरा नं 115 के आगे मिला। परिवादी को पूर्व में सुपुर्द किया गया विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बंद करके सुरक्षित रखा गया। परिवादी ने बताया की मै कार्यालय के अन्दर गया तो आरोपी श्री मुकेश कुमार, निजी सहायक कमरा नं. 115 में अपनी सीट पर बैठे हुये मिले। जिससे मैने मेरे बिलो से संबंधित कार्य की बात-चीत की तब आरोपी ने कहा की आप मतलब की बात करने आये हो या बेमतलब की बात करने आये हो तब परिवादी ने कहा की मतलब की बात करने आया हूँ। परिवादी ने कहा की मै 1,00,000/-रु लेकर आया हूँ। तब आरोपी ने अपने दाहिने हाथ से लेकर दोनो हाथो से गिनकर अपने टेबल की दाहिने साईड के मध्य दराज में रख लिये। उसके बाद परिवादी को मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान टीम को साथ लेते हुये कमरा नं 115 के गेट के अन्दर प्रवेश किया तो सामने की सीट पर एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा मिला परिवादी ने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही श्री मुकेश कुमार निजी सहायक है, जिन्होने अभी-अभी मेरे फर्म के बिल पास करवाने की एवज में 1,00,000/- रुपये रिश्वत ली है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ का परिचय देते हुए उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मुकेश कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, निजी सहायक ग्रेड-गा, कार्यालय अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जपुर शहर (पूर्व) होना बताया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री महेश कुमार मीणा, से ली गई रिश्वती राशि 1,00,000/- रुपये बाबत पूछा तो श्री मुकेश कुमार ने रिश्वती राशि नहीं ली मैने इनसे 80,000/-रु लेपटॉप के उधार लिये है। मौके पर ही मौजूद परिवादी ने बताया कि यह झुठ बोल रहा है, मेरी फर्म फर्म AAROH TRAVEL SOLUTION के बिल पास करने की एवज में दौराने मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 27.07.2026 को इन्होने 2.03 लाख रुपये की मांग की व 1,50,000/- रुपये पहले व बाकी के पैसे बिल पास होने के बाद लेने की सहमती दी थी। मांग की अनुसरण में मैने आज 01 लाख रुपये रिश्वत के इनको दिये है। जिन्होने अपने दाहिने हाथ से लेकर दोनो हाथो से गिनकर अपने टेबल के मध्यम दराज में रख लिये है। इसके बाद तत्पश्चात् परिवादी द्वारा बताई गई बातों के संबंध में पुनः आरोपी श्री मुकेश कुमार से रिश्वती राशि लेने बाबत पूछा गया तो श्री मुकेश कुमार ने बताया की अभी अभी महेश कुमार से 01 लाख रुपये लिये जो मैने अपने दाहिने हाथ में लेकर अपने दोनो हाथों से गिनकर अपनी टेबल के मध्यम दराज में रखे है। इसके पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर आरोपी के दोनो हाथ कलाईयो से उपर पकडवाये गये तथा स्वतंत्र गवाह से तलाश करवाया तो टेबिल की दाहिनी साईड के मध्यम दराज में पाँच-पाँच सौ रुपये की दो गडी दिखाई दी जो गवाह श्री प्रवीण तेजी से उठवाये गये। तत्पश्चात् श्री चांदमल सहायक उप निरीक्षक से प्लास्टिक की बोतल मे साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से दो प्लास्टिक डिसपोजल के गिलास निकलवाकर उन गिलासो को पुनः साबुन पानी से साफ करवाया जाकर दोनो गिलासो में प्लास्टिक बोतल से साफ पानी डालकर उसमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार किया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो धोवन का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में आरोपी के बाये हाथ की अंगुलियों का धुलवाया गया तो पानी का रंग हल्का गुलाबी हो गया व दाहिने हाथ की अंगुलियों को दूसरे गिलास के घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो प्राप्त धोवन हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। जिनको दो-दो कांच की शिशियों में अलग-अलग भरवाकर शील्ड चीट मार्क R-1, R-2, L-1, L-2 अंकित किया गया तथा कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् रिश्वती राशि आरोपी के टेबिल के दाहिने साईड के मध्य दराज का धोवन लेने के लिये एक प्लास्टिक के गिलास में साफ पानी में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया जो उपस्थितगणों ने रंगहीन होना बताया गया व जिस स्थान पर रिश्वती राशि बरामद हुई उस दराज के अन्दर के स्थान को रूई के फोवे से सोडियम कार्बोनेट के घोल में डूबोकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच की शिशियो में आधा-आधा डालकर सील चीट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क TD-1, TD-2 अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् आरोपी श्री मुकेश कुमार, निजी सहायक के कार्यालय कक्ष की टेबिल की दाहिनी साईड के मध्यम दराज से प्राप्त रिश्वती राशि 1,00,000/- रुपये जो गवाह श्री प्रवीण तेजी से उठवाये गये को गिनवाये गये तो भारतीय मुद्रा के पाँच-पाँच सौ के 200 नोट कुल 1,00,000/-रुपये बताये। उक्त नोटो का दोनो स्वतंत्र गवाह से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया तो तो हूबहू वही नम्बरी नोट होना पाए गए। जिनका विवरण फर्द में निम्नानुसार अंकित किया गया है।

1. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 3CQ773159
2. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 0EN416074
3. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 8FG816599
4. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 4BH544462
5. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 5BP554353
6. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 6WM648268
7. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 5BW170527
8. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 8MN309316
9. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 0LD371959
10. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 6WU402543
11. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 5CC680345
12. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 3GK269862
13. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 4GV584540
14. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 2CH658679
15. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी

5WG877666 16. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 0BD 164745 17. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
6HL734354 18. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 2UB180110 19. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
8KE407275 20. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 7CU325496 21. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
1CB559767 22. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 2NU249123 23. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
1CM351433 24. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 3LK937723 25. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
3LK937724 26. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 3LK937725 27. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
3LK937726 28. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 3LK937727 29. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
9RC271209 30. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 9ES404159 31. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
7TF494397 32. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 1FE926178 33. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
3TM627616 34. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 8GT 694879 35. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
8GK845506 36. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 5MU204692 37. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
9TH209336 38. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 8FF335277 39. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
7DC065944 40. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 4FP879388 41. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
3SM059983 42. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 3MW228441 43. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
7TL469728 44. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 5ED029878 45. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
5CG434858 46. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 7QA247387 47. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
6RE781912 48. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 4KC005483 49. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
4RP453359 50. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 0EH021654 51. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
4FE906787 52. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 1BP605011 53. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
2RT525627 54. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 2RT525628 55. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
0MT934123 56. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 8CC862876 57. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
0GR918073 58. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 6PN869323 59. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
3RQ393326 60. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 7KA120516 61. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
7GK306096 62. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 3CT123933 63. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
8NM599003 64. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 5PA295502 65. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
0TH710999 66. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 5EF727560 67. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
7PA396888 68. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 0QC940226 69. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
6DV564488 70. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 7KR829075 71. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
7GK353497 72. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 6WG833543 73. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
3WF816917 74. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 9QK230371 75. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
9AQ729996 76. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 3BE425052 77. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
4FW542135 78. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 5VP289490 79. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
1PV011810 80. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 4MK752100 81. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
9AL118156 82. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 5LW830264 83. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
8QT085173 84. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 6UK956910 85. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
4FF780374 86. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 4EQ766359 87. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
6AD685660 88. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 4BF151192 89. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
0NG961268 90. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 2UM563836 91. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
2DG210870 92. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 1PD181566 93. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
5AH936727 94. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 6FN811023 95. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
1AP613032 96. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 3EW241988 97. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
0BC863049 98. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 5RB122686 99. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
8VN565457 100. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 9PF056155 101. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
4VD378812 102. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 1TK159793 103. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
6CF078191 104. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 0FS463432 105. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
2KE890786 106. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 1WW162908 107. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
6ED858174 108. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 0BP270834 109. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
2LS611136 110. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 4HN205658 111. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी

0KW517117 112. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 6KG237883 113. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
 4SC824087 114. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 7LL381742 115. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
 2SW151218 116. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 2LK347281 117. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
 2TC724059 118. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 8WF918658 119. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
 8NP553894 120. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 7AV245631 121. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
 7AV245630 122. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 7AV245629 123. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
 3EK012427 124. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 3ES004785 125. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
 2KR875159 126. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 9DD347655 127. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
 8PB883589 128. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 9BB834654 129. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
 6QG137947 130. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 1AU566658 131. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
 1NW493331 132. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 9QP728500 133. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
 0DS066532 134. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 0BV078419 135. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
 7VM643521 136. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 2RR951692 137. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
 8KB024936 138. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 9VT790454 139. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
 1CF124492 140. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 2AH289388 141. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
 3QS274533 142. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 4DC852211 143. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
 6QQ014852 144. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 3CT909287 145. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
 8VQ133464 146. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 8EV252090 147. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
 6VN459555 148. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 7FQ447685 149. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
 7MS094288 150. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 2GN078492 151. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
 3MQ781359 152. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 3MQ781360 153. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
 3MQ781361 154. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 3MQ781362 155. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
 3MQ781363 156. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 3MQ781364 157. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
 3MQ781365 158. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 3MQ781366 159. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
 3MQ781367 160. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 3MQ781368 161. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
 3MQ781369 162. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 3MQ781370 163. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
 3MQ781371 164. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 3MQ781372 165. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
 3MQ781373 166. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 3MQ781374 167. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
 3MQ781375 168. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 3MQ781376 169. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
 3MQ781377 170. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 3MQ781378 171. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
 3MQ781379 172. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 3MQ781380 173. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
 3MQ781381 174. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 3MQ781382 175. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
 3MQ781383 176. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 3MQ781384 177. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
 3MQ781385 178. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 3MQ781386 179. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
 3MQ781387 180. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 3MQ781388 181. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
 3MQ781389 182. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 3MQ781390 183. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
 3MQ781391 184. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 3MQ781392 185. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
 3MQ781393 186. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 3MQ781394 187. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
 3MQ781395 188. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 3FQ116366 189. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
 2MQ888793 190. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 2MQ888794 191. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
 2MQ888795 192. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 2MQ888796 193. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
 2MQ888797 194. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 2MQ888798 195. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
 2MQ888799 196. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 2MQ888701 197. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
 7AV245633 198. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 7AV245634 199. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी
 7AV245635 200. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी 7AV245636

उक्त 1,00,000/- रुपये को एक सफेद कागज के साथ सिल कर सील चिट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री मुकेश कुमार की टेबिल के दाहिने साईड के मध्यम दराज से मिली रिश्वती राशि के धोवन में काम में ली गई रूई के फोवे को सुखा कर एक माचिस की डिब्बी में रखकर

एक कपड़े की थैली में डालकर सील चौट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क-B अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् परिवादी के कार्य के बारे में पूछने पर आरोपी श्री मुकेश कुमार, निजी सहायक ने बताया कि परिवादी की फर्म AAROHI TRAVEL SOLUTION के बिल नंबर ADM EX.0015/29-06-2026 फर्म द्वारा 05 लाख 13 हजार 975 रुपये का पेश किया था जो दिनांक 24.07.2026 को सेक्शन किया गया जो आज सुबह दिनांक 29.07.2026 को पास आर्डर लगा है। बिल ट्रेजरी जायेगा व बिल संख्या ADM EX.0016/29-06-2026 से ADM EX.0022/29-06-2026 तक कुल 18,36,262 रु का श्री महेश कुमार ने पिछले हफ्ते मेरे को दिये थे जो चैकिंग हेतु मेरे पास है। जो आरोपी श्री मुकेश कुमार ने टेबिल की दराज से निकालकर पेश किये। बिलो का अवलोकन किया गया तो कुल 18,36,262 रु व 5,13,975/- रु के बिल बकाया है। जिनके बिलो की फॉटो काँपी करवाकर प्राप्त की गई तथा मूल बिल श्री सुरेन्द्र, वरिष्ठ सहायक को सुपुर्द किये गये व बिलो की प्रमाणित प्रतियों पृष्ठ 01 से 18 तक कब्जा एसीबी ली गई। विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर को सरसरी तौर पर सुना गया तो रिश्तत लेन देन के समय की वार्ता सुना गया तो उसमे रिश्तत लेन देन के समय की वार्ता रिकार्ड होना पाई गई है जिनकी पृथक से फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जावेगी। अब तक की कार्यवाही से श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, जाति जाट, उम्र 43 वर्ष निवासी 278 अमर नगर सी खातीपुरा जयपुर हाल, निजी सहायक ग्रेड-II कार्यालय अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जपुर शहर (पूर्व) ने परिवादी श्री महेश कुमार मीणा पुत्र श्री जगदीश मीणा उम्र 40 वर्ष जाति मीणा निवासी ए- 93 अर्जुन नगर महेश नगर जयपुर पुलिस थाना महेश नगर जयपुर की फर्म AAROHI TRAVEL SOLUTION के बिल नंबर ADM EX.0015/29-06-2026 फर्म द्वारा 05 लाख 13 हजार 975 रुपये का पेश किया था जो दिनांक 24.07.2026 को सेक्शन किया गया जो आज सुबह दिनांक 29.07.2026 को पास आर्डर लगा है। बिल ट्रेजरी जायेगा व बिल संख्या ADM EX.0016/29-06-2026 से ADM EX.0022/29-06-2026 तक कुल 18,36,262 रु के बिल भुगतान करने की एवज में बतौर कमीशन 8 प्रतिशत रिश्तत राशि की मांग कर रहे थे। मांग के अनुसरण में दिनांक 27.07.2026 को सत्यापन करवाया गया तो परिवादी श्री महेश कुमार से आरोपी श्री मुकेश कुमार, निजी सहायक ने 2,03,000/-रु की मांग व 1,50,000/-रु पहले व 53,000/- रु बिल पास होने के बाद लेने की सहमति देने पर आज दिनांक 29.07.2026 को 1,00,000/- रु प्राप्त कर रिश्तती राशि बरामद होने का कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम वर्ष 2018 का पाया जाने पर आरोपी श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, जाति जाट, उम्र 43 वर्ष निवासी 278 अमर नगर सी खातीपुरा जयपुर हाल, निजी सहायक ग्रेड-II कार्यालय अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जपुर शहर (पूर्व) को नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया जावेगा। घटनास्थल का नक्शा मौका पृथक से तैयार किया जाकर शामिल पत्रावली किया जावेगा। उपरोक्त समस्त कार्यवाही में आरोपी श्री मुकेश कुमार के दोनो हाथों के धोवन शिल्ड शुदा शिशियां मार्क R-1,R-2,L-1,L-2 आरोपी श्री मुकेश कुमार के टेबिल के दाहिने साईड के मध्यम दराज के धोवन की शिल्ड शुदा शिशियां मार्क- TD-1, TD-2 टेबिल के दराज से मिली रिश्तती के स्थान के धोवन में काम में लिया गया रूई के फोवे को माचिस की डिब्बी में रखकर कपड़े की थैली मार्क B शिल्ड किया एवं आरोपी से बरामद रिश्तती राशि 1,00,000/- रुपये को बतौर वजह सबूत कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। मौके की कार्यवाही की विडियोग्राफी श्री बन्नाराम कानि. से करवायी गयी जिसकी पृथक से जरिये फर्द पेनड्राइव तैयार की जाकर सील चीट की जायेगी। कार्यवाही में जप्त किये गये आर्टिकल सीलमोहर करने में एसीबी जयपुर की सील काम में ली गई ब्रास सील का नमूना फर्द में अंकित किया गया। आरोपी श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, जाति जाट, उम्र 43 वर्ष निवासी 278 अमर नगर सी खातीपुरा जयपुर हाल, निजी सहायक ग्रेड-II कार्यालय अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जपुर शहर (पूर्व) को अपनी आवाज का नमूना देने व एफएसएल से परीक्षण करवाने हेतु नोटिस दिया गया था जिस पर श्री मुकेश कुमार ने स्वयं के हस्तलेख से अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित में मना किया। नोटिस शामिल पत्रावली किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक स्वतंत्र गवाहान व परिवादी की मौजूदगी परिवादी की निशादेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर कर नक्शा मौका शामिल पत्रावली किया गया। आरोपी मुकेश कुमार, निजी सहायक के विरुद्ध की गई ट्रेप कार्यवाही संबंधी विडियो रिकोर्डिंग की स्वतंत्र गवाहान के समक्ष पेनड्राइव जरिये फर्द तैयार की जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर कर शामिल पत्रावली की गई। ट्रेप कार्यवाही में जप्त आर्टिकलों को सील चीट करने में कार्यालय की ब्रास सील काम ली गई जिसकी फर्द नमूना सील तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी श्री मुकेश कुमार को उसके द्वारा किए गए अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) से अवगत करवाते हुए नियमानुसार गिरफ्तार किया गया जिसकी फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी पृथक से तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी श्री मुकेश कुमार, निजी सहायक के मोबाईल सेमसंग माडल एस 25 बॅरग सिल्वर कलर एक सीम जिओ दूसरी सीम बीएसएनएल कम्पनी की जिसका पासवर्ड 191019 है की फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी के दौरान कब्जा एसीबी लिया गया था इस मोबाईल सेमसंग माडल एस 25 कलर बॅरग सिल्वर कलर एक सीम जिओ फोन से आरोपी श्री मुकेश कुमार व परिवादी के मध्य पूर्व में भी मोबाईल पर पैसे लेने देने के की वार्ता होने के कारण मोबाईल को जरिये फर्द जप्त किया गया जिसकी फर्द जप्ती पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। स्वतंत्र गवाहान श्री प्रवीण तेजी व श्री करन बिंवाल के समक्ष दिनांक 29.07.2026 को

परिवादी श्री महेश कुमार मीणा व आरोपी श्री मुकेश कुमार निजी सहायक, कार्यालय अति. जिला कलक्टर एवं अति जिला मजिस्ट्रेट जयपुर पूर्व के मध्य वक्त रिश्तत लेन-देन के समय आमने सामने हुई वार्ता जो विभागीय डिजीटल वायस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी। उक्त रिकार्ड वार्ता की वाईस क्लिप को परिवादी एवं गवाहान के समक्ष बारी-बारी से चलाकर बारी-बारी से सुना जाकर परिवादी श्री महेश कुमार मीणा से अपनी एवं आरोपी मुकेश कुमार की आवाज की पहचान करवाई गई। जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करना आरंभ की गई। वक्त लेनदेन वार्ता परिवादी श्री महेश कुमार मीणा व आरोपी मुकेश कुमार निजी सहायक मध्य हुई वार्ताओ को विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर को विभागीय लेपटॉप से जोड़कर उक्त रिकार्ड वार्ता की वाईस क्लिप को बारी-बारी से तीन अलग-अलग पेन ड्राइव में राईट/बर्न किया गया। वाईस क्लिप पेन ड्राइव में रिकार्ड/सेव होना सुनिश्चित किया जाकर तीन पेन ड्राइव पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा अलग-अलग पेन ड्राइव मार्क B-1, B-2 (मुलजिम कॉपी), B-3 (आईओ कॉपी) क्रमशः अंकित किये गये। उक्त पेन ड्राइव में से तीनपेन ड्राइव मार्क B-1, मार्क B-2 (मुलजिम कॉपी) एवं मार्क B-3 (आईओ कॉपी) को अलग-अलग कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर की गयी। पैकेटों पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये व पेन ड्राइव अनुसार कपडे के पैकेटों पर मार्क अंकित किये गये। पेन ड्राइव मार्क B-1, B-2 (मुलजिम कॉपी) को सुरक्षित रखा गया। पेन ड्राइव मार्क B-3(आईओ कॉपी) अनुसंधान अधिकारी हेतु अनुसंधान के प्रयोजनार्थ खुली पत्रावली के संलग्न रखी गयी। डिजीटल वाईस रिकार्डर में लगे माइको एसडी Consistent micro SD card 32 GB कार्ड को निकालकर एक कागज के लिफाफे में रखकर कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर पैकेट को-SD-1 मार्क अंकित किया गया एवं सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में ट्रेप कार्यवाही में विभागीय डिजीटल वायस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को सुन-सुन कर शब्द-ब-शब्द श्री देवेन्द्र कानि. द्वारा टाईप करवायी गयी तथा पेन ड्राइव मार्क B-1, मार्क B-2 (मुलजिम कॉपी), B-3 (आईओ कॉपी) को राईट / बर्न करवायी गयी तथा उनमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ एवं कांट छांट नही की गई है। उक्त रिकार्ड वार्ता से सम्बन्धित मैमोरी कार्ड व राईट/बर्न की गई पेन ड्राइव की हैश वैल्यू निकालकर फर्द में अंकित की गई। अब तक की ट्रेप कार्यवाही विरुद्ध श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, जाति जाट, उम्र 43 वर्ष निवासी 278 अमर नगर सी खातीपुरा जयपुर हाल, निजी सहायक ग्रेड-II कार्यालय अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर शहर (पूर्व) परिवादी श्री महेश कुमार मीणा की फर्म AAROHI TRAVEL SOLUTION के बिल पास करने की एवज में कमीशन के रूप में 02 लाख 03 हजार रुपये की मांग करना दिनांक 27.07. 2026 को मांग सत्यापन करवाया गया तो आरोपी ने 1,50,000/- रु पहले लेना व 53 हजार रुपये बिल पास होने के बाद लेने की सहमति दी। मांग के अनुसरण में आज दिनांक 29.07.2026 को 01 लाख रुपये परिवादी से रिश्तती राशि प्राप्त कर अपने दाहिने हाथ से प्राप्त कर अपने दोनो हाथो से गिनकर अपने कार्यालय कक्ष की टेबल के दाहिने साईड के मध्यम दराज में रखना व दराज से रिश्तती राशि बरामद होना आरोपी श्री मुकेश कुमार, निजी सहायक द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करने का कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधित) वर्ष 2018 का पाया जाने पर आरोपी के विरुद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते कमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है । (देवेन्द्र प्रसाद), पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण, जयपुर।.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री देवेन्द्र प्रसाद, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, जाति जाट, उम्र 43 वर्ष निवासी 278 अमर नगर सी खातीपुरा जयपुर हाल, निजी सहायक ग्रेड-II, कार्यालय अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर शहर (पूर्व) के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई । उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री झाबरमल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, SIW, जयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 539 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1273-76 दिनांक 31.07.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-01, जयपुर 2- जिला कलक्टर, जयपुर 3- उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख द्वारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.):	JHABAR MAL	Rank	
(जाँच अधिकारी का नाम):	YADAV	(पद):	अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to
(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1983				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)